

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

08⁰⁵/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.
~~अनुपदि~~ / पीठारी अधिकारी
~~वैरे~~ / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-24/07/19 को पेश हो m

24⁰⁷/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.
~~अनुपदि~~ / पीठारी अधिकारी
~~वैरे~~ / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-28/08/19 को पेश हो m

28⁰⁸/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.
~~अनुपदि~~ / पीठारी अधिकारी
~~वैरे~~ / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-09/10/19 को पेश हो m

09¹⁰/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.
~~अनुपदि~~ / पीठारी अधिकारी
~~वैरे~~ / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-30/10/19 को पेश हो m

30¹⁰/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.
~~अनुपदि~~ / पीठारी अधिकारी
~~वैरे~~ / अन्य कार्य में व्यस्त।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-13/11/19 को पेश हो m

13¹¹/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठारी-
 से. की ओर से पूर्व में पेश कालकागरी
 वैशाली-घोसल को अभिलेख पर लिखा
 है। कल पत्रावली हेतु दि. 20.11.19 को पेश हो m

प्रावली कहल हेतु पेशी में ली गयी। उभाय पक्षा की
कहल सुनी गयी।
उपधी का तर्क रहा कि वादी दि. 2.6.73 से पंजीकृत
वैयनामा के द्वारा पेशी की हेतियत से राजल रिफंड
में दर्ज है व काबिल कारत है।
उपधी का तर्क रहा कि न्या. SDM मटोपुर की डिट्री
दि. 24.5.61 व उसके अनुसरण में निर्णित नामान्तरण
सं. 98 दि. 27.5.67 द्वारा वादी का भूमी के वधाकर्षित
पेशी साहुलसिंह पुत्र दोगल सिंह का नाम लमाकंदी
के लयक कर दिया गया।
उपधी द्वारा 2.6.73 का साहुलसिंह से जो पंजीकृत
वैयनामा कराया है वह प्रामतः किही विद्वह व
आरम्भतः शून्य है।
उपधी द्वारा उक्त वैयनामा के आधार पर निर्णित
नामान्तरण 19.8.74 प्रामतः शून्य है, अिसे
सक्षम न्यायालयों द्वारा निरस्त घोषित किया गया।
उभाय पक्षा की कहल के तर्कों पर गौर किया गया।
उक्त नामान्तरण सम्बंधी निर्णय की पक्षिया वहरिलेक
प्रीमागोपुर के समक्ष उभाय पक्षों का सुनकर,
निर्णय हेतु ऊरकार है।
अतः प्रामतः दुव्या मामला, सुविद्या का सुतुलन व
अपूरणीय क्षाति के मापडण्ड उपधी के पक्षा में
है।
अतः उपधीमापत्र 212 RTA खारिज किया
जाता है।
निर्णय आज दि. 20.11.19 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

Jw
20.11.19
(राजीवसिंह)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
खण्डेन (सीकर)

